राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2269/2024

ममता चौहान

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बस्सी, जिला, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 10.07.2024
आदेश की दिनांक : 22.07.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री धर्मचन्द जैन, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री लल्ल लाल मीणा, सीबीईओ, बस्सी
श्रीमति गायत्री मीणा, प्रधानाचार्य (प्रत्यर्थी सं.–4)

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी का मुख्य रूप से यह कथन रहा है कि अपीलार्थी को चाईल्ड केयर लिव स्वीकृत नहीं की जा रही है। अपीलार्थी द्वारा तीन बार चाईल्ड केयर लिव के आवेदन किया गया था, परंतु अपीलार्थी को चाईल्ड केयर लिव स्वीकृत नहीं की गई।
2. इस अपील में प्रत्यर्थी संख्या–4 का कथन है कि अपीलार्थी लम्बे समय की अवधि के लिये अवकाश पर रही, जो उनके द्वारा परिवीक्षाकाल के दौरान लिये गये थे, उसकी स्वीकृति निदेशक स्तर से नहीं की गई। ऐसे में पूर्व की अनुपस्थिति अवधि स्वीकृत नहीं होने के कारण अपीलार्थी के चाईल्ड केयर लिव के आवेदन पर विचार नहीं किया गया।
3. हमारा मत है कि पूर्व में अपीलार्थी द्वारा लिये गये अवकाश की स्वीकृति प्रत्यर्थी विभाग द्वारा लम्बित रखी गई है। इस आधार पर वर्तमान में अपीलार्थी द्वारा

किये गये चाईल्ड केयर लिव के आवेदन पर विचार नहीं किया जाना उचित नहीं है।

4. अतः प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा अगर नये सिरे से प्रत्यर्थी विभाग को चाईल्ड केयर लिव के लिए आवेदन किया जाता है तो प्रत्यर्थी विभाग सहानुभूतिपूर्वक अपीलार्थी के आवेदन पर विचार कर कार्यवाही करेंगे। इस आदेश के साथ इस अपील का निस्तारण किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)